80

<u>सूचना का अनुरोध पत्र–धारा 6 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</u>

दिनॉक : 06–08–2016

सेवामें,

लोक सूचना अधिकारी
भारतीय वन्यजीव संस्थान
पो0बा0–18, चन्द्रबनी
देहरादून

<u>विषय</u> : <u>सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना हेतु अनुरोध–पत्र।</u>

महोदय जी,

कृपया निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें :–

1. यह है कि सन् 2002 अक्टूबर मे, संस्थान में भिन्न–भिन्न पदों पर कुल दस पदों पर नियुक्यिां की गयी है जिसमें से 7 पद ऐसे हैं जोकि दिनांक 01–04–2006 के पूर्व "भर्ती व पदोन्नति नियमावली" के अनुरूप नहीं है ये 4 पद कम्प्यूटर विभाग में व 3 पद पुस्तकालय विभाग के हैं। जोकि दिनांक 01–04–2006 की पूर्व **"भर्ती व पदोन्नति नियमावली" के अनुसार किस वर्ग में इन पदों का उल्लेख/वर्गीकरण किया गया है।** जबकि 01–04–2006 के पूर्व **"भर्ती व पदोन्नति नियमावली" में ग्रुप–IV में वैज्ञानिक वर्गो** का वर्गीकरण/**उल्लेख** स्पष्ट किया गया है तो दिनांक 21–10–2002 (ICSAP-III) की समिति ने इन 7 **पदों की नियुक्ति किस "भर्ती व पदोन्नति नियमावली"** के अनुसार इन पदों का वर्गीकरण किया गया है व नियुक्ति की गयी है के नियमावली की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

2. यह है कि इन पदों पर नियुक्तियां किस पद के सापेक्ष की गयी है व तत् संबंधी नोटिंग एवं आदेश की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

3. यह है कि दिनांक 21–10–2002 को (ICSAP-III) समिति के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, सचिव के नामों का सम्पूर्ण पता सहित प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

4. यह है कि सभी नियुक्त किये गए किर्मचारियों के लिखित परीक्षा, टाईपिंग टेस्ट व साक्षात्कार के लिए बुलावा–पत्र (Call letter) की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005
Apl. No. 28 Qtr. II Year 2016-17
Fee 10/- Inward Date 09/08/2016

5. यह है कि Proceeding of ICSAP-III Committee Meeting held on 21.10.2002 at Wildlife Institute of India, Dehradun to consider the direct recruitment for the post page No.85 to 91 की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

6. यह है कि इनमें से कितने कर्मचारियों को नई नियुक्ति होने के बावजूद अग्रिम वेतन बृद्धि (Advance Increment) दिये गए व **"भारत सरकार"** के किस नियम के तहत दिये गये हैं ? सभी कर्मचारियों को पांच अग्रिम वेतन बृद्धि किस नियम के आधार पर दिये गये हैं व उस नियमावली का उल्लेख दें तथा प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

7. यह है कि **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी. जाति के** किसी भी कर्मचारी को अग्रिम वेतन बृद्धि (Advance Increment) दिए गए हैं या नहीं ? अगर नहीं दिये गये हैं तो क्यों नहीं दिये गये हैं ? नियमावली की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

8. यह है कि इन सभी पदों पर नियुक्ति होने से पूर्व डॉक्टर द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

9. यह है कि उपरोक्त सभी पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें से किसी कर्मचारी का संस्थान के किसी अधिकारी से कोई रिस्तेदारी तो नहीं हैं ? की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

10. यह है कि ये सभी 10 पदों पर नियुक्तियां की जाने से पूर्व इसकी मंत्रालय/वित्त मंत्रालय/शासी निकाय आदि से इसकी स्वीकृति ली थी या नहीं। उस जी0बी0 के एजेडें व मिनट्स की संदर्भ की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

11. यह है कि इन पदों पर नियुक्तियां हेतू अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने के लिये सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त की गयी थी तो उसकी प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

12. यह है कि वैज्ञानिक वर्ग के कर्मचारियों के लिए नये **"भर्ती व पदोन्नति नियमावली"** कब से लागू किये किए हैं। उसका स्पष्टीकरण करवाने की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने की महति कृपा करें।

13. यह है कि सितम्बर 2013 में जब C&AG टीम द्वारा आडिट किया जा रहा था तो संस्थान के प्रशासन अनुभाग द्वारा दो मुद्दों पर आडिट टीम के मुखिया श्री जयपाल शर्मा वरिष्ठ लेखा अधिकारी से दिनांक 26/09/2013 उनकी राय लिखित रूप में मांगी गयी थी पहला अधोहस्ताक्षरी के पदोन्नति एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में और दूसरा तकनीकी सेवा के ग्रुप–II एवं IV को रू04600/– का ग्रेड पे देने के संदर्भ में।

प्रार्थी के मामले में तो डाइरेक्टर (EA) ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डाइरेक्टर ऑफ आडिट नई दिल्ली से Second openion संस्थान के पत्रांक सं0–A/2-31/2005 -WII दिनांक 31 अक्टूबर 2015

द्वारा मांगी गयी थी। क्या दूसरे मामले, जोकि तकनीकी सेवा के ग्रुप–II एवं IV को रूपये 4600/– को ग्रेड पे देने के सन्दर्भ में था, भी Second openion लिया गया था। यदि लिया गया था तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें। यदि नहीं लिया गया था तो उसका कारण बताने का कष्ट करें। नियम सभी कर्मचारियों के लिये सम्मान है। फिर अनुसूचित जनजाति होने के कारण प्रार्थी के साथ भेदभाव क्यों किया जाता है ? अगर आडिट पार्टी द्वारा किसी की सेवा पंजिका पर नहीं लिखा जा सकता तो संस्थान की किसी फाइल पर लिखने का अधिकार भी नहीं है। व दिनांक 26/09/2013 को प्रार्थी की सर्विस बुक स्वयं ही प्रशासनिक विभाग ने आडिट पार्टी के समक्ष निरीक्षण हेतू रखी गयी थी तो इसमें आडिट पार्टी द्वारा लिखे गये Remarks को प्रशासनिक इनचार्ज के द्वारा Remarks के पैरा बनाकर ऑडिट पार्टी के समक्ष दूबारा इसे स्वीकृति हेतू क्यों नहीं रखा गया है ? जबकि उसी दिनांक को उसी ऑडिट पार्टी ने ग्रुप–II एवं IV को ग्रेड पे रूपये 4600/– दिये जाने के लिए प्रशासनिक मुख्या द्वारा विशेष रूप से पैरा व नोटिंग की गयी है और आडिट पार्टी से इसकी विशेष रूप से स्वीकृति ली गयी है। लेकिन प्रार्थी के साथ यहां पर भी भेदभाव किया गया। नियम सभी कर्मचारियों के लिए एक सम्मान होने चाहिए।

14. यह है कि संस्थान ने तकनीकी कर्मचारियों के लिए **"Asha & Hemendra Panwar Award" (आशा एवं हेमेंद्र पंवार पुरस्कार)** राशि हर वर्ष तकनीकी कर्मचारियों के लिए पुरस्कार के रूप में देने के लिए लागू किया गया था उस राशि के द्वारा अभी तक कितने कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है। और अभी तक इसमें कितनी धनराशी शेष है। इसका पूर्ण स्पष्टीकरण देने की महति कृपा करे।

15. आवेदन कर्ता द्वारा जमा शुल्क करने का प्रमाण–पत्र – धनराशि रू010/– का भारतीय पोटल आर्डर न0–33F 863574 दिनांक 06–08–2016 के शुल्क के रूप में संलग्न है।

16. आवेदन पत्र जमा करने की तिथि – दिनांक 06–08–2016 को स्पिड पोस्ट से प्रेषित है।

17. आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान – बलबीरसिंह

(श्री बलबीरसिंह चौहान)
101–महिमा एनक्लेव
आवासीय कल्याण समिति
लेन न0–1, फेस न0–1
केहरीगॉव, प्रेमनगर,
देहरादून– 248007